# न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीसलपुर, जिला पीलीभीत।

**<u>वाद संख्या 2205 सन् 2016</u>**

श्रीमती अंजली बनाम अनुज तिवारी आदि।।
धारा 12 घरेलू हिंसा अधिनियम।
थाना बीसलपुर, जिला पीलीभीत।

.————————————————————————————

<u>दिनांक 13.06.2019</u>

पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत। प्रार्थना पत्र 5ख अन्तर्गत धारा 23(2) घरेलू हिंसा अधिनियम पर सुना जा चुका है। प्रार्थिनी अंजली की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि प्रार्थिनी का विवाह अनुज तिवारी के साथ हुआ था। समस्त संशाधनों से प्रत्यर्थी अनुज तिवारी की मासिक आय मु0 80,000/–रू0 प्रतिमाह है। जब कि प्रार्थिनी कोई कार्य नही जानती और न ही उसके पास आय का कोई साधन है। जिस कारण प्रार्थिनी को अत्यधिक आर्थिक तंगी से गुजना पड रहा है। प्रत्यर्थी ने प्रार्थिनी को धमकी दी है कि वह न तो उसे अपने साथ रखेगा और न ही कोई खर्चा देगा न ही उसका कोई स्त्रीधन उसे वापस देगा। प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना की गयी है कि प्रार्थिनी को प्रत्यर्थी से मु0 38,000/–रू0 मासिक दिलाये जाने का आदेश पारित करनें की कृपा की जाये।

आपत्तिकर्ता की ओर से आपत्ति 15ख मय शपथ पत्र 16ख प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि प्रार्थिनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध व आय के दर्शित श्रोत झूठे व मनगढंत तथ्यों पर आधारित है। आपत्तिकर्ता बेरोजगार व्यक्ति है तथा उसके पिता भी नही है। आपत्तिकर्ता के पास कोई जमीन नही है तथा वह प्रार्थिनी को विवाह के पश्चात् से सभी सुख–सुविधायें देता था, परन्तु वह अपनी मॉ की एकलौती पुत्री होने के कारण उसके साथ नही रहना चाहती है, जिसके संबंध में उद्धरण खतौनी संलग्न है तथा वह बीसलपुर में मोहल्ला दुबे में आंगनवाडी केन्द्र में नौकरी करके मु0 5,000/–रू0 व टयूशन पढाकर मु0 10,000/–रू0 व कृषि से मु0 5,00,000/–रू0 वार्षिक आय होती है। इस प्रकार से प्रार्थिनी मु0 30,000/–रू0 महीना स्वयं पैदा कर लेती है, जिससे उसे किसी प्रकार के भरण पोषण की कोई आवश्यकता नही है। आपत्तिकर्ता द्वारा काफी प्रयास किया गया कि वह उसके साथ खुशी से चलकर अपने ससुराल में रहे, परन्तु उसने मना कर दिया कि वह अपनी बूढी मॉ के साथ रहना चाहती है। प्रार्थिनी द्वारा आपत्तिकर्ता की जो आय दर्शित की गयी है, उसके संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तत नही किया गया है तथा वह एक बेरोजगार व अपनी मॉ के सहारे से जीवन यापन कर रहा है। अतः उक्त अन्तरिम भरण पोषण प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रार्थिनी अंजली अब आपत्तिकर्ता अनुज तिवारी से अलग रहती है तथा जहॉ तक उसे सुख–सुविधा दिये जाने प्रश्न है तो उस समय प्रार्थिनी उसके साथ रहती थी तथा अलग रहने के दौरान कोई भी भरण पोषण प्रदान किये जाने का साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। आपत्तिकर्ता द्वारा अपनी आपत्ति में यह कथन किया गया है कि वह आंगनवाडी में नौकरी करके मु0 5,000/–रू0 प्रतिमाह व टयूशन पढाकर मु0 10,000/–रू0 प्रतिमाह कमा लेती है, परन्तु उक्त के सम्बन्ध में न तो कोई कथन किया गया है और न ही ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। जब कि विवाह के उपरान्त प्रार्थिनी के भरण पोषण का सम्पूर्ण दायित्व आपत्तिकर्ता अनुज तिवारी पर है।

प्रार्थिनी की ओर से विधि व्यवस्था ***शालू ओझा बनाम प्रशान्त ओझा, 2015(90) ए0सी0सी0–841, सु0को0; शिव अग्रवाल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य, 2015(2) जे0आई0सी0–756,इला0; राजीव कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य,2015(91) ए0सी0सी0–181,इला0*** आदि विधि व्यवस्थाओं पर निर्भरता व्यक्त करते हुए अन्तरिम भरण पोषण की प्रार्थना की गयी है। उपरोक्त ''शालू ओझा,, के वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा अन्तरिम भरण पोषण का आदेश पारित किया जा सकता है। उपरोक्त ''शिव अग्रवाल व राजीव कुमार,, के वाद में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा धारा 23 घरेलू हिन्सा अधिनियम के अन्तर्गत पारित अन्तरिम आदेश को सही माना गया है। प्रार्थिनी अंजली द्वारा अपने वाद के साथ में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है तथा कथन किया है कि आपत्तिकर्ता द्वारा उसके साथ दहेज की मॉग की गयी है व उसका उत्पीडन भी किया गया है। प्रार्थिनी द्वारा आपत्तिकर्ता के साथ रहने के दौरान भी उसके साथ घरेलू हिंसा किये जाने का कथन किया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रार्थिनी के साथ घरेलू हिंसा का मामला परिलक्षित होता है। प्रार्थिनी की वर्तमान में आर्थिक तंगी व उसकी व्यक्तिगत मूल–भूत सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए अन्तरिम भरण पोषण का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित होगा।

## ***आदेश***

प्रार्थिनी का अन्तरिम भरण पोषण प्रार्थना पत्र 5ख स्वीकार किया जाता है। प्रार्थिनी अंजली को आपत्तिकर्ता अनुज तिवारी मु0 5,000/–रू0 प्रतिमाह अदा करेगा। चूॅकि दावा प्रस्तुत करने के बाद से जब से प्रार्थिनी अलग रह रही है। विपक्षी द्वारा कोई भरण पोषण अदा नही किया गया है, इसलिए प्रार्थना पत्र दिनांक 21.11.2016 से भरण पोषण देय होगा। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 31.07.2019 को पेश हो।

**न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
बीसलपुर, पीलीभीत।